कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,उत्तराखण्ड।
85 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135–2742884 फैक्स न० 0135–2745691 ईमेल–cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 3187 /4-34 देहरादून दिनांक 05 जून, 2024

कार्यालय आदेश

विषय :– *शस्त्र लाईसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।*

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 (वर्ष 2022 तक यथासंशोधित) की धारा–34 (3) के अनुसार "अभ्यारण्य से 10 कि0मी0 की त्रिज्या के अन्दर किसी भी व्यक्ति को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54वां) के अधीन कोई नया अनुज्ञा पत्र नहीं दिया जायेगा।"

राष्ट्रीय उधानों में घारा 35(8) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित धारा–34(3) के अनुरुप ही कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्तानुसार उत्तराखण्ड में प्राप्त आवेदनों पर शस्त्र लाईसेंस अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कार्यवाही की प्रकिया को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2022 तक यथा संशोधित) की धारा–5(2) में दी गई व्यवस्था के अनुसार तथा उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 162/X-2-2024-21(06)/2024 (E-68541) दिनांकित 23.02.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति उपरान्त निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

1– *जिन संरक्षित क्षेत्रों की 10 कि0मी0 की सीमान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु उक्त विधिक व्यवस्था के अनुसार अनापत्ति अपेक्षित है वहां के उप निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, यह पुष्टि करते हुये कि वास्तव में आवेदक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में शस्त्र लाईसैन्स हेतु आवेदन किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र जारी कर सकेगें कि आवेदक का निवासस्थान अभ्यारण्य/ राष्ट्रीय उधानों के 10 कि0मी0 की त्रिज्या से बाहर होने के कारण अनापत्ति की आवश्यकता नही है।*

2– *आवेदक के अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उधानों के 10 कि0मी की त्रिज्यान्तर्गत निवासरत होने पर सम्बन्धित उप निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, ऐसे आवदेनों का समुचित परीक्षण कर (जैसे आवेदक के विरुद्व कोई वन/वन्यजीव अपराध/वाद से सम्बन्धित कार्यवाही प्रचलित तो नही हैं) संरक्षित क्षेत्र के निदेशक/वन संरक्षक को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगें।*

3– *प्रदत्त तालिका (संलग्न) के अनुरुप सम्बन्धित क्षेत्र के निदेशक/वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त आवेदनों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।*

4– *अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यालय ऐसे आवेदकों का ब्यौरा एक पंजिका में दर्ज करने के साथ–साथ प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक उक्त ब्यौरा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे।*

5– *वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथासंशोधित 2022 की धारा 34(3) जोकि दिनांक 01 अप्रैल 2023 को प्रभावी हुआ है, में यह प्राविधानित है कि "अभ्यारण्य से 10 कि0मी0 की त्रिज्या के अन्दर किसी भी व्यक्ति को मुख्य वन्यजीव संरक्षक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54वां) के अधीन कोई नया अनुज्ञापत्र नही दिया जायेगा" अतः सम्बन्धित जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त के अनुपालन में वर्तमान तक जारी किये गये लाईसैन्सों का विवरण*

उपलब्ध कराते हुये यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में जारी किये गये नये लाईसैन्स की सूचना पत्र के साथ सलंग्न तालिकानुसार सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करायें।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

सं0–यथोपरि

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 3187 / 4-34 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी–देहरादून/हरिद्वार/टिहरी/पौड़ी/चमोली/उत्तरकाशी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ/रुद्रप्रयाग/नैनीताल/चम्पावत/उधम सिंह नगर/बागेश्वर को सूचनार्थ एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथासंशोधित 2022 की धारा 34(3) एवं 35(8) के क्रम में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 3187 / 4-34 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौडी।
2– मुख्य वन संरक्षक, कुमांउ।
3– निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर/ राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून/ नन्दादेवी रा0 पार्क, जोशीमठ एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5– उप निदेशक, गंगोत्री रा0 पार्क, उत्तरकाशी/ गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरोला।
6– प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ टाईगर रिजर्व, लैन्सडौन/ केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर/सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा/ पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ/ हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी/ मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
7– उप वन संरक्षक, नन्दादेवी रा0 पार्क, जोशीमठ।

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 3187 / 4-34 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

क्र0 सं0	संरक्षित क्षेत्र का नाम	कार्यालय का नाम जिनको आवेदन प्रेषित किये जायेगें	संरक्षित क्षेत्र/अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क की 10 कि0मी की परिधि में आने वाले आवेदनों पर निम्न कार्यालयों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा
1	2	3	4
1-	राजाजी टाईगर रिजर्व	उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क	निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व
2-	गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान	उप निदेशक, गंगोत्री रा0 पार्क, उत्तरकाशी	
3-	गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान	उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरोला	
4-	कार्बेट राष्ट्रीय उधान	उप निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व	निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व
5-	सोनानदी वन्यजीव विहार	प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ टाइगर रिजर्व, लैन्सडौन	
6-	केदारनाथ वन्यजीव विहार	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर	निदेशक, नन्दादेवी बायो0 रिजर्व
7-	1. फूलो की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 2. नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ	
8-	बिन्सर वन्यजीव विहार	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त
9-	अरकोट वन्यजीव विहार	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	
10-	नन्धौर वन्यजीव विहार	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त
11-	मसूरी वन्यजीव विहार	प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	वन संरक्षक, यमुना वृत्त